



**कार्यालय मुख्य आयुक्त**  
**Office of the Chief Commissioner**  
**सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर**  
**CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur**  
**(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)**

---

**स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU-94/2025**

सीजीएसटी वडोदरा जोन में निरीक्षक के पद पर चयन के परिणामस्वरूप श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक के तकनीकी त्यागपत्र को कार्यालय आदेश संख्या CCU-54/2025 दिनांक 18.07.2025 के माध्यम से दो वर्ष के ग्रहणाधिकार (Lien) के साथ स्वीकृत किया गया था और तदनुसार, उन्हें दिनांक 18.07.2025 (अपरान्ह पश्चात्) को कार्यमुक्त किया गया।

Consequent upon selection to the post of Inspector in CGST Vadodara Zone, the Technical Resignation of Shri Gourav Vaishnav, Inspector was accepted vide this office Establishment Order No CCU-54/2025 dated 18.07.2025 with a lien of two year and accordingly he was relieved on dated 18.07.2025(Afternoon).

अब, श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक द्वारा दिनांक 14.10.2025 को किए गए प्रत्यावर्तन के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, उन्हें ग्रहणाधिकार(Lien) अवधि के भीतर सीजीएसटी और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर में निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तन की अनुमति दी जाती है। हालांकि, इस विभाग में प्रत्यावर्तन हेतु उनका त्यागपत्र उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है और उन्हें इस विभाग में नियुक्ति के लिए उचित रूप से कार्यमुक्त किया जाना होगा।

Now, considering his request dated 14.10.2025 for repatriation to this department, Shri Gourav Vaishnav, Inspector is hereby allowed to repatriate to CGST & Central Excise, Jaipur Zone, Jaipur as Inspector within Lien period. However, in order to join in this department on repatriation, his resignation is required to be accepted by his present employer and he has to be duly relieved to this department.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the competent authority.

(निष्ठा शर्मा / Nishtha Sharma)  
संयुक्त आयुक्त / Joint Commissioner

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. सहायक आयुक्त(स्थापना), केन्द्रीय माल और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद उत्तर, पहली मंजिल, कस्टम हॉउस, नवरंगपुर, अहमदाबाद को उनके पत्र F.No. II/(33)/41/2021-ESTT-O/o COMMR-CGST-AHMEDABAD(N) I/3639008/2025 दिनांक 13.11.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपील्स, जयपुर/अपील्स, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
3. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
5. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी प्रति श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक, संभाग-III सानंद, अहमदाबाद उत्तर, सीजीएसटी अहमदाबाद परिक्षेत्र
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्टा।